



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
सेक्टर-11 जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ-226031

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को सूचित किया जाता है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 की उत्तर पुस्तिकाओं का चैलेंज पुनर्मूल्यांकन कराये जाने हेतु इच्छुक छात्र दिनांक 26.07.2021 से 10.08.2021 तक निर्धारित शुल्क ₹0 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) प्रति विषय की दर से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चैलेंज पुनर्मूल्यांकन कराये जाने से संबंधित पूर्व में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: डा०.अ०.क०.प्रा०.वि०.वि०./प०.नि०.का०./2021/4689 दिनांक 23 जून, 2021 (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही करने के उपरान्त ही छात्र चैलेंज पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं अन्यथा आवेदन नहीं कर सकेंगे। चैलेंज पुनर्मूल्यांकन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार परीक्षा समिति की 68वीं बैठक के मद संख्या 68.13 में लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:-

- 1 दोनों विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा।
- 2 यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।
- 3 यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क ₹0 2500/- में से ₹0 1000/- की घनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस की जायेगी।
- 4 उक्त क्रमांक 03 के अनुसार छात्र को ₹01000/- की कटौती करते हुए ₹0 1500/- वापस की जाएगी। शुल्क वापसी हेतु छात्रों द्वारा बैंक विवरण आईएफएस० कोड, खाता संख्या एवं बैंक का नाम भरते समय टीक से जांच कर लिया जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरण सही भरे गये हैं। यदि छात्र द्वारा गलत बैंक विवरण या किसी अन्य के खाता का विवरण दिया जाता है तो भुगतान में असुविधा के लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः उक्त से अवगत होते हुए चैलेंज पुनर्मूल्यांकन हेतु इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

(प्रो० अनुराग त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक

पत्र संख्या: ए०क००टी०य००/प०नि०का०/2021/५८८०

दिनांक: २७/०७/२०२१

प्रतिलिपि:

- 1 निदेशक/प्राचार्य विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना से छात्रों को सूचित करने का कष्ट करें।
- 2 कुलसचिव, ए०क००टी०य००, लखनऊ।
- 3 वित्त अधिकारी, ए०क००टी०य००, लखनऊ।
- 4 संयुक्त/उपपरीक्षा नियंत्रक, ए०क००टी०य००, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त निर्धारित तिथि से छात्रों को प्रभारी, ई०आर०पी०, ए०क००टी०य००, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु आनलाइन पोर्टल खोलने की व्यवस्था चैलेंज पुनर्मूल्यांकन के आवेदन तथा निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु आनलाइन पोर्टल खोलने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
- 6 स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, ए०क००टी०य००, लखनऊ को मॉ० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(प्रो० अनुराग त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक



कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राभी संरथाओं के विषम सेमेस्टर 2020-21 के छात्रों के परीक्षा फल घोषित हो चुके हैं। परीक्षा फल के उपरान्त ऐसे छात्र जो अपनी उत्तर पुरितका का चैलेन्ज पुर्नमूल्यांकन (Challenge Evaluation) कराना चाहते हैं, ऐसे छात्र पुर्नमूल्यांकन का फार्म भरने से पूर्ण उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या: 39298 / 16-1099 / 17 / 2020, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 के साथ श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या: ई-7443 / 03-जी०एस०/2019(टी.सी.) एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति-2021 की ६३वीं बैठक में लिए गये निर्णय का विवरण निम्नानुसार है।

1. उक्त शासनादेश संख्या एवं परीक्षा समिति में लिए गये निर्णय के अनुसार छात्र उत्तर पुरितका दखन के लिए 30 (तीस) दिन के अन्दर आवेदन कर सकता है।
2. उक्त शासनादेश संख्या एवं परीक्षा समिति में लिए गये निर्णय के अनुसार छात्र को मुल्यांकित उत्तर पुरितका देखने के लिए प्रति विषय (Per Subject) ₹० 300/- विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा करना होगा।
3. छात्र को प्रति विषय (Per Subject) ₹० 300/- विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा करने के उपरान्त उक्त विषय की डिजिटल मुल्यांकित उत्तर पुरितका छात्र को उसके लागिन में उपलब्ध करायी जायेगी।
4. छात्र द्वारा मुल्यांकित उत्तर पुरितका का अवलोकन करने के उपरान्त यदि छात्र असंतुष्ट होता है तो छात्र परीक्षा फल घोषित होने के 45 (पैतालिस) दिन के अन्दर चैलेन्ज मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।
5. छात्र अपनी उत्तर पुरितका का चैलेन्ज पुर्नमूल्यांकन (Challenge Evaluation) कराना चाहता है तो छात्र प्रति विषय (Per Subject) ₹० 2500/- विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा कर फार्म भर सकेगा।
6. उक्त शासनादेश संख्या एवं परीक्षा समिति में लिए गये निर्णय के अनुसार यह व्यवस्था विषम सेमेस्टर 2020-21 से प्रभावी होगी।-

Anusag Prf.
23.06.21
(प्रो० अनुराग त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 23 जून, 2021

पत्रांक : डा.अ.क.प्रा.वि.वि./प.नि०का०/2021/4689

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. वित्त अधिकारी, डा.अ.क.प्रा.वि.वि. लखनऊ।
2. कुलसचिव, डा.अ.क.प्रा.वि.वि. लखनऊ।
3. स्टाफ ऑफिसर डा.अ.क.प्रा.वि.वि. लखनऊ। मा० कुलपति महोदय को अगलोकनार्थ।
4. ई० आर० पी० डा.अ.क.प्रा.वि.वि. लखनऊ।
5. निदेशक / प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रागत संरथान।

**
(प्रो० अनुराग त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक